''लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'' अभियान में मुख्यमंत्री व रेल मंत्री शामिल हुए

लोकतंत्र की बात करने से पहले कांग्रेस आपातकाल व लोकतंत्र विरोधी इतिहास पर जवाब दे- भजनलाल

जयपुर, 5 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को रामलीला मैदान में ''लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'' अभियान के तहत जनसभा को संबोधित किया तथा त्रिपोलिया गेट तक आयोजित पदयात्रा में शामिल हुए और आमजन से लोकतंत्र बचाने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र की बात करने से पहले अपने कर्मों का जवाब देना चाहिए। वर्ष 1975 में देश पर आपातकाल थोपकर इन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था। उस दौरान लोकतंत्र सेनानियों को महीनों तक जेलों में रहना पड़ा और उनके परिवारों ने भी भारी पीड़ा और यातनाएं झेलीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए कई राज्यों में सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया था।

- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस जिस ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, उसी से केरल में चुनाव जीतने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होती।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केन्द्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव गुरूवार को रामलीला मैदान से त्रिपोलिया गेट तक आयोजित ''लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ'' पदयात्रा में शामिल हुए।

केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और दुष्प्रचार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वर्ष 1947 के बाद कई बार कांग्रेस सहित, विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में यह प्रक्रिया अपनाई गई है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध एवं प्रमाणिक बनाना है।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस जिस ईवीएम पर सवाल खड़े करती है, उसी से केरल में चुनाव जीतने पर उसे कोई आपत्ति नहीं होती। उन्होंने कांग्रेस को संसद में खुली बहस की चुनौती देते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां किसी भी विषय पर तथ्यों और तर्कों के साथ चर्चा की जा सकती है।

प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से भाजपा द्वारा पदयात्रा के माध्यम से जन-जागरण अभियान चलाया जा रहा है।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, युवा एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित, अनेक सांसद, विधायक व गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 2 की मौत

नई दिल्ली, 05 नवंबर। दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में गुरुवार सुबह निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हादसे की जांच कराने और ठेकेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। उन्होंने घटना स्थल पर पहुंच कर राहत एवं बचाव कार्य का निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने संबंधित जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को तत्काल निलंबित करने और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने और प्रभावित परिवारों को तत्काल अनुग्रह राशि प्रदान करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

- मुख्यमंत्री ने जूनियर इंजीनियर व असिस्टेंट इंजीनियर को निलम्बित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टीमें मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं।

दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि जिम्मेदारी संपत्ति मालिकों की भी है। इनमें से कई गलियां मुश्किल से दो से तीन फुट चौड़ी हैं, जिससे आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

एनडीआरएफ ने घटनास्थल पर तलाशी और बचाव अभियान चलाया।

हरदीप पुरी राज्यसभा के लिये निर्विरोध निर्वाचित

भोपाल, 05 नवंबर। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। गुरुवार को नाम वापसी की समय अवधि समाप्त होने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई।

- उनके अलावा नामांकन भरने वाले दो निर्दलीयों के नामांकन पत्र खारिज हो गये।

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश की राज्यसभा की यह सीट एल मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।

इस सीट के लिए हुए उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार हरदीप सिंह पुरी के अलावा, दो निर्दलीय राजकुमार लोहानी और कांते सयन्ना ने भी नामांकन दाखिल किया था। हालांकि, नामांकन की संवीक्षा के दौरान दोनों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए।

हिरासत की अवधि कब से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से अदालत तक पहुंचने में लगने वाले जरूरी समय को शामिल नहीं किया जा सकता।

शीर्ष अदालत ने ओडिशा हाईकोर्ट के आर्यमान पटनायक मामले, मद्रास हाईकोर्ट के कन्नन मामले और केरल हाईकोर्ट के अरुण के. थॉमस मामले में दिए गए उन फैसलों को गलत ठहराया, जिनमें औपचारिक गिरफ्तारी से पहले की हिरासत की अवधि को 24 घंटे की समय-सीमा की गणना से बाहर रखने की अनुमति दी गई थी। बैंच ने स्पष्ट किया कि 24 घंटे की समय-सीमा की गणना करते समय केवल गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले समय को ही अलग रखा जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य अवधि को इससे बाहर नहीं किया जा सकता। बैंच ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को 24 घंटे की निर्धारित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। बैंच ने यह भी कहा कि हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिरासत की अवधि उचित सीमा से अधिक न हो, भले ही वह संविधान में निर्धारित 24 घंटे की सीमा के भीतर ही क्यों न हो। फैसले में कहा गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों को हिरासत में लिए जाने की वास्तविक तारीख और समय दर्ज करना होगा तथा यह स्वतंत्र रूप से जांचना होगा कि संवैधानिक समय-सीमा का पालन किया गया है या नहीं। बैंच ने कहा कि मजिस्ट्रेटों को यह भी देखना चाहिए कि परिस्थितियों के हिसाब से हिरासत की अवधि उचित है या नहीं। यदि हिरासत की अवधि जरूरत से ज्यादा लगती है, तो वे रिमाण्ड देने से इनकार कर सकते हैं।

तिरुपति लड्डू का मामला आंध्र प्रदेश के बाहर नहीं जायेगा- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 05 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को तिरुपति लड्डू घी मिलावट मामले की सुनवाई आंध्र प्रदेश से बाहर स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बैंच ने इस मामले में आरोपी महाराष्ट्र स्थित डेयरी उद्योग व्यवसायी और मालगंगा मिल्क एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मछिंद्र शांताराम लंके की याचिकाएं खारिज कर दीं।

- अदालत ने आरोपी डेयरी उद्योग व्यवसायी शांता राम लंके की याचिका खारिज की।

याचिकाकर्ता लंके की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि राजनीतिक नेता मामले के संबंध में लगातार बयान दे रहे हैं, जिससे स्वतंत्र सुनवाई के लिए प्रतिकूल माहौल बन गया है। दवे ने कहा कि यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। राज्य में माहौल काफी तनावपूर्ण है।





राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908